CNR NO–UPVR010051862026
न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी
प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 1716/2026

रोहित कुमार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम जगतपुर, थाना रोहनियां, जिला वाराणसी।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य।

...........अभियोजक।

अपराध सं0 – 114/2026
धारा – 109(1)बी0एन0एस0
थाना –रोहनियां, वाराणसी

02.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त **रोहित कुमार** की तरफ से उपरोक्त मामले में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र दाखिल किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 12/4/2026 को वादिनी मुकदमा मीरा देवी के पड़ोस के रोहित कुमा कुमार का उसके पति राजन से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी, दिनांक 13.04.2026 समय करीब 1.00AM पर रोहित कुमार द्वारा किसी नुकिले हथियार से जानलेवा हमला किया गया घटना के पश्चात वे लोग उसे (राजन) को लेकर नरउर रोहनियां स्थित संजीवनी हास्पिटल मे लेकर गये जहाँ उनका उपचार चल रहा है और डाकटरो द्वारा उन्हें बताया गया कि उनकी हालत गम्भीर है।

4. दौरान विवेचना मजरूब का मेडिकल परीक्षण कराया गया जिसमें मजरूब राजन को दो चोटें आना अंकित है। मेडिकल रिपोर्ट में चोटों की प्रकृति साधारण अंकित है।

5. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसे मिथ्या एवं मनगढंत कथानाक के आधार पर आरोपित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त घटना स्थल पर हरगिज मौजूद नहीं था बल्कि घटना स्थल से 200–250 मीटर दूर अपने घर सो रहा था। उसके द्वारा किसी चोटहिल को हरगिस चोटे नहीं पहुंचायी गयी है। उक्त घटना रात्री और सुनसान क्षेत्र की है जहां पर लाईट का कोई भी स्रोत नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को वहां पर किसी के द्वारा नहीं देखा गया है और न ही पहचाना गया है। चोटहिल की चोटें सामान्य प्रकृति की है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 13.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। वह निर्दोष है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

6– प्रत्युत्तर में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के पति पर जान से मारने की नियत से नुकीले पंच से हमला कर घायल किया गया है। उसके कब्जे से नुकीले पंच को बरामद

Digitally signed by SANJEEV SHUKLA
Date: 2026.06.27 07:45:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गयी ।

7. मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

8. मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना मेरी राय में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **रोहित कुमार** की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को मु0 50,000/- (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न शर्तों के आधार पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जायेः-

1. प्रार्थी/अभियुक्त समान प्रकृति का अपराध पुनः कारित नहीं करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा।
4. विचारण प्रारम्भ होने पर प्रार्थी/अभियुक्त सम्बन्धित न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा और साक्षी के उपस्थित होने पर अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

दिनांक:02.06-2026

(संजीव शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।
J.O.Code-UP1900

Steno-km.kshma